

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।  
पत्रांक ३१०५ / १५— दिनांक, मेरठ || जनवरी 2016।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिण्डन कट कैनाल के किनारे 6 लेन एलीवेटेड रोड के निर्माण हेतु 0.6448 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 335 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- 1—प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद का पत्रांक 1950/22—1 दिनांक 06.01.2016  
2—आपका पत्रांक मेमो—२/गाजियाबाद—16073/य०पी०—१७२/2015 दिनांक 01.01.2016

महोदय,

आपके सन्दर्भित पत्र से प्राप्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद द्वारा निम्न प्रकार किया गया है—

**बिन्दु सं०—१** — प्रस्ताव के पृष्ठ—१५ में संलग्न मानचित्र रिमोट सैंसिंग से डिजीटल मैप बनाने हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त मानचित्र में एलीवेटेड रोड में प्रस्तावित भूमि को अंकित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल—3531.43 वर्ग मी० है, जो सम्पूर्ण भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव में सम्मिलित की गई है।

**बिन्दु सं०—२** — प्रस्ताव के पृष्ठ—१६ व १७ में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के जी०पी०एस० को—ओर्डर्नेट्स पृष्ठ सं०—१४ व १५ में संलग्न मानचित्र में अंकित किया गया है जो पूर्व में संलग्न है। इसी आधार पर रिमोट सैंसिंग सेन्टर, उ०प्र० द्वारा डिजीटल मानचित्र तैयार किया गया है। उक्त Coordinate को स्पष्ट रूप से अंकित कर अलग संलग्न कर प्रेषित है।

**बिन्दु सं०—३** — प्रस्ताव के पृष्ठ सं०—३३ में संलग्न क्षेत्रफल की गणना को स्पष्ट रूप से अंकित कर संलग्न किया जा रहा है।

**बिन्दु सं०—४** — प्रस्ताव के पृष्ठ सं०—३७ पर अंकित Justification संशोधित कर पुनः प्रेषित है।

**बिन्दु सं०—५** — प्रस्ताव के पृष्ठ सं०—४० के भाग 2 में व्यौरो के पातन होने वाले 210 वृक्ष Online Upload किये हैं। Online Upload करते समय ०—३० तक वर्ग व्यास के वृक्षों को Upload करने का काई Column नहीं है। इसी कारण अवशेष 125 वृक्षों को सम्मिलित करते हुए 335 वृक्षों/पौधों के पातन हेतु प्रस्ताव अग्रेसित किया गया है जिसकी पृथक—पृथक सूची बनाकर संलग्न है।

**बिन्दु सं०—६** — प्रस्ताव में एन०पी०वी० की गणना पृष्ठ सं०—९६ पर संलग्न कर भेजी जा रही है।

**बिन्दु सं०—७** — पृष्ठ सं०—५३ से ६२ पर पातन हेतु होने वाले वृक्षों की सूची पर प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

**बिन्दु सं०—८** — प्रस्ताव के पृष्ठ सं०—६६ के क्रम में अवगत कराना है कि संलग्न मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की जी०पी०एस० Coordinates के साथ मुख्य बिन्दु तालिका में जोड़ दिये गये हैं।

**बिन्दु सं०—९** — प्रस्ताव के पृष्ठ सं०—८० में उपलब्ध मानचित्र में सारणी तालिका बनाकर व्यौरा बना दिया गया है।

**बिन्दु सं०—१०** — प्रस्ताव के पृष्ठ सं०—८१ में दर्शित मानचित्र को हटा दिया गया है।

**बिन्दु सं०—११** — प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में विभागीय अधिकारियों की मोहर लगा दी गई है।

**बिन्दु सं0-12** – क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का स्थल उपर्युक्ता प्रमाण-पत्र सही कर दिया गया है।

**बिन्दु सं0-13** – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के के0एम0एल0 फाईल के साथ सी0डी0 तैयार कर संलग्न की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने हेतु उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें। प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

भवदीय

(एस0क0 अवस्थी)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रोंक

दिनोंकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0क0 अवस्थी)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।